15-5-14 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु
मौ. आज [illegible] हेतु मामलों में पेश हुई।
प्रार्थीगण बावजूद तामील के कोर्ट में
उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी मनोज उप॰।
अप्रार्थी मनोज को सुना गया। अप्रार्थी
मनोज के द्वारा वाद [illegible] ग्राम का अधिकारिता
का वाद पेश किया गया है तथा प्रार्थी के द्वारा

अ.नि. मनोज

प्रार्थी निगरानीकर्ता के अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी के अभिभाषक द्वारा बहस

व्यक्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया

गया। पत्रावली बहस हेतु लंबित है। इस न्यायालय

के आदेश दिनांक 26-2-2005 से मूल वाद के निस्तारण

तक कब्जा बाबत यथास्थिति प्रभावी है

था। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का आदेश दिनांक

26-2-05 मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावी किया

जाता है कि ग्राम [illegible] खसरा नं. 3173 से

3180, 3507 लगायत 3511, 3589 लगा० 3597, 3927, 4427 लगा०

4435, 4437 लगा० 4446 तथा कोठा नं. 185 में ख.नं. 4148 लगायत

4150, 4152 तथा 4253 में [illegible] एवं [illegible] की

यथा स्थिति बनाये रखें। प्रकरण [illegible] हुआ है पर

[illegible] पेश हो तथा वाद [illegible]

[illegible] मूल वाद के संलग्न हो। निर्णय खुले

न्यायालय में [illegible]

लिखवाया जाकर सुनाया गया।

[signature]

सहायक कलक्टर

[illegible]

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट [illegible] सहायक